आधुनिकता और वाराणसी में निवासित विधवाएं : एक समाजवैज्ञानिक विश्लेषण

कुशकुल दीप*

सारांश

एक तरफ जहां भारत को प्राचीन समय से सद्गुण पर आधारित आध्यात्मिक राष्ट्र माना जाता है, जिसमें विभिन्न बहुमुखी परम्पराओं, संस्कृतियों, स्वतंत्रता, समानता व न्याय की भावना का समावेशन है। वहीं दूसरी तरफ रूढ़िवादिता व संकीर्णता से जकड़ी मानसिकता के कारण विधवा महिलाओं की स्थिति को लेकर सती और वैधव्य जैसी कुप्रथाएं भी समाज में विद्यमान थीं। समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है। भारतीय समाज भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। उत्तर आधुनिकता के इस दौर में दुनियां ने जहां सूचना और संचार क्रांतियों के माध्यम से पूरे विश्व को एक गांव सरिखे बना दिया, वहीं नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं पश्चिमीकरण ने व्यक्ति की सोच व समाज के स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। ऐसे समय में विधवाओं से जुड़ी परम्पराओं, मान्यताओं, कर्मकाण्ड, सभ्यता, संस्कृति व मूल्यों इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन के स्वरुप को देखा जा सकता है।

प्रस्तुत लेख वाराणसी नगर में निवासित विधवाओं के अध्ययन पर आधारित होगा। जिसमें आधुनिकता के दौर में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मिथकों से निर्मित क्रियाकलापों एवं वर्तमान समय की चुनौतियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जायेगा।

अध्ययन की समस्या–

भारतीय समाज में वैधव्य का दंश शुभ और अशुभ की अवधारणा पर आधारित है। परम्परानुसार विधवा अशुभ है, इसीलिए किसी शुभ कार्य में इसकी उपस्थिति की सामाजिक स्वीकृति नहीं है। और न ही उसे सामान्य औरतों की भॉति श्रृंगार व सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता है। इस सब के पिछे विधवापन का कलंक है जो उसे तिरस्कार, अमानवीय तथा अशोभनीय व्यवहार का शिकार बनाता है। यहाँ तक कि इस पितृसत्तात्मक समाज में विधवाओं की हत्या (पति की चिता के साथ अग्नि प्रवेश) के अमानवीय कृत्य को 'सतीत्व' के गौरव से महिमा मण्डित कर पवित्र धर्म के रूप में घोषित किया गया। साथ ही साथ सम्पूर्ण मानव जाति को लिखित अभिलेखों के माध्यम से बनाया गया ऐसी सोच का वाहक। एक तरह से कहा जाये तो उनका पूर्णतः सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सुधारवादी राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों ने विधवा महिलाओं को हाशिएं से केन्द्र में लाने के लिए भारतीय समाज को एक नई सोच प्रदान की। जिसमें औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण जैसी प्रक्रियाओं तथा सरकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभायी। परिणामस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 को लागू किया गया। विधवाओं की दशा का संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2010 को प्रतिवर्ष 23 जून को अन्तरराष्ट्रिय विधवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। यह दिवस विश्व भर में विधवाओं के साथ हो रहे अत्याचारों, उनकी गरीबी और उनके बच्चों तथा उनके साथ हो रहे अन्यायों के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। परिणाम स्वरूप विधवाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका में बदलाव आया। फलस्वरूप महानगरों में विधवा के प्रति कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिखायी पड़ रहा है।

वर्ष 2011 के सरकारी आकड़ो के अनुसार भारत में कुल विधवाओं की जनसंख्या 44.019 मिलियन है, जिसमें 34.290 मिलियन महिलाएं एवं 9.729 मिलियन पुरूष हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 32.581 मिलियन एवं नगरीय क्षेत्र में 11.438 मिलियन विधवाओं की जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्यात्मक दृष्टिकोण से हम पूरे विश्व में विधवाओं की स्थिति देखें तो भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अकेले वाराणसी में 90 हजार विधवाएं निवास करती हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल महिलाओं की जनसंख्या की करीब 8 प्रतिशत अर्थात् 4 करोड़ विधवाएं भारत में हैं। जिसमें से 50 फीसदी बूढ़ी,

* शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कमजोर एवं शारीरिक रूप से अक्षम हैं। वहीं दूसरी तरफ सम्पूर्ण पुरूष विधुरों की संख्या पुरूष जनसंख्या की 2.50 फीसदी ही है। अतः स्पष्ट है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात ज्यादातर पुरूष पुनर्विवाह कर लेते हैं।

अवधारणात्मक व्याख्या– प्रस्तुत शोध पत्र में हम देखें तो दो अवधारणाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उत्तर आधुनिकता और विधवा। जिसकी क्रमवार अवधारणात्मक व्याख्या इस प्रकार हैः

आधुनिकता– आधुनिकता एक दशा (कंडिशन) को इंगित करने वाला शब्द है जिसकी अभिव्यक्ति हम संस्कृति, कला, साहित्य और वास्तुशास्त्र में देखते हैं। अध्ययन कर्ता ने आधुनिकता शब्द का प्रयोग केवल 1960–70 के दशक से वर्तमान समय के वर्णन के लिए किया है।

विधवा– विवाह रूपी संस्था से बधे स्त्री–पुरूष में से पुरूष अर्थात् पति की मृत्यू के पश्चात् उसकी पत्नी को विधवा कहा जाता है। दूसरे अर्थों में पति की मृत्यु हो जाने के बाद जब स्त्रियाँ विवाहहीन जीवन व्यतीत करती है तो ऐसी महिलाओं को विधवा की संज्ञा दी जाती है।

मदान के अनुसार–''पति की मृत्यु एक ऐसी स्थिति है, जिसमें स्त्री की सामाजिक पहचान बदल जाती है। विधवापन स्त्री के स्थिति में एक घातक परिवर्तन लाती है।''

अध्ययन का उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य

1. आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और नगरीकरण जैसी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विधवा महिलाओं की भूमिका एवं प्रस्थिति में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. आधुनिकता के दौर में विधवाओं के प्रति पूर्वाग्रहों, सामाजिक बहिष्कारों, धार्मिक कर्मकाण्डों आदि के बदलते स्वरूपों का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन के लिए शोधकर्ता द्वारा वाराणसी जनपद के दुर्गाकुण्ड क्षेत्र में स्थित विधवा आश्रम और दुर्गाकुण्ड नगर क्षेत्र को अध्ययन कार्य के लिए चुना गया है। परम्परानुसार मान्यता है कि काशी भगवान शिव की नगरी है। काशी में मृत्यु से आत्मा सीधे शिव तत्व में विलीन होती है, और मोक्ष की प्राप्ती होती है। अतः यहां निवासित विधवाओं की दो कोटियां हैं। प्रथम– वैधव्य कलंक से पीड़ित विधवाएं और द्वितीय– वैधव्य के कारण जीवन ईश्वर को समर्पित करने वाली विधवाएं।

समग्र एवं न्यादर्श का चयन– दुर्गाकुण्ड क्षेत्र में स्थित विधवा आश्रम की समस्त 27 विधवा महिलाओं को जनगणना विधि तथा नगर क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही 13 विधवा महिलाओं को स्नोबाल निदर्शन प्रणाली के माध्यम से उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। इन्हीं 40 विधवा महिलाओं से प्राप्त विचारों के आधार पर प्रस्तुत शोध–पत्र पूर्ण किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत– प्रस्तुत शोध–पत्र को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

तथ्य संकलन का उपकरण एवं विधि– प्रस्तुत शोध–पत्र में तथ्य संकलन के लिए अनुसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है।

वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण– प्रस्तुत शोध–पत्र में उत्तरदात्रियों से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण कर सारणीबद्ध किया गया है। तथा सारणी के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया हैः अस्तु प्रस्तुत शोध–पत्र में सारणीवार तथ्यों की विवेचना निष्कर्ष सहित इस प्रकार हैः

आयु के सापेक्ष विधवाओं की स्थितिः

सारणी संख्या 1.1 आयु के सापेक्ष विधवाओं की अवस्था

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
31–40	01	2.50
41–50	05	12.50
51–60	13	32.50
61–70	15	37.50
70 से ऊपर	06	15.00
योग	**40**	**100.0**

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 37.00 प्रतिशत विधवाएं 61 से 70 एवं 32.00 प्रतिशत विधवाएं 51 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मध्य की हैं। स्पष्टतः कहा जाय तो कुल 85. 00 प्रतिशत विधवाएं 51 वर्ष की उम्र अवधि से अधिक की हैं। अतः उपरोक्त तथ्य से यह अवधारणा निर्मित होती है कि चूंकि अधिकांश विधवाएं वृद्ध ही है, अतः हो सकता है कि कम आयु की विधवाओं का पुनर्विवाह हो गया हो। यदि ऐसा है तो वह अपने आप में ही एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है।

स्वास्थ्य के सापेक्ष विधवाओं की स्थिति का विवरणः

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छे स्वास्थ्य को एक धन के रूप में देखा जाता है, लेकिन विधवा महिलाओं के संदर्भ में इस पक्ष को जानने के लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया तो 80 प्रतिशत विधवाओं ने खुद को अस्वस्थ बताया।

सारणी संख्या 1.2 बीमारी की अवस्था में औषधियों के प्रयोग के सापेक्ष विधवाओं की स्थिति

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
एलोपैथिक	30	75.00
आयुर्वेदिक	06	15.00
यूनानी	00	00.00
प्राकृतिक	2	5.00
झाड़ फूक	2	5.00
योग	40	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 75 प्रतिशत विधवायें बिमारी की अवस्था में एलोपैथिक दवाओं का सेवन करती हैं। इस तथ्य से यह अवधारणा निर्मित होती है कि परम्परागत चिकित्सा पद्धति, झाड़ फूक आदि का त्याग कर विधवाएं बड़े स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपना रहीं हैं। जो आधुनिक भारत की सोच व व्यवहार की दशाओं में परिवर्तन को सूचित करता है।

व्रत रखन के सापेक्ष विधवाओं की स्थितिः

अग्नि पुराण में कहा गया है कि शास्त्रों द्वारा घोषित नियम ही व्रत है। वहीं समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्रत को तप के रूप में देखा जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्रत रखने से व्यक्ति विभिन्न रोगों से मुक्त और मानसिक रूप से संतुष्ट होता है। इन सबसे परे भारतीय जनमानस व्रत को धार्मिक चश्मे से देखता है और इसे पवित्र एवं पुण्य कार्यो की श्रेणी में रखता है–

सारणी संख्या 1.3 व्रत रखने के सापेक्ष विधवाओं की स्थिति

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	25	62.50
नहीं	15	37.50
योग	40	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 62.50 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि वह व्रत रखती हैं, वहीं 37.50 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि वे व्रत नही रखती हैं।

व्रत रखने के सापेक्ष नहीं में उत्तर देने वाली 07 विधवाओं ने अपनी उम्र और बिमारी को व्रत न रखने का कारण बताया, वहीं 08 विधवाओं का कहना है कि व्रत, धार्मिक कर्मकाण्ड आदि की श्रेणी में आता है, और हम विधवाओं को धार्मिक संस्कार आदि पूर्ण करने से समाज द्वारा मना कर दिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं आज भी विधवाओं के प्रति प्रचलित निषेध कुछ मात्रा में कायम हैं। परन्तु देखा जाय तो विधवाओं द्वारा व्रत रखना भारतीय दृष्टिकोण से अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है।

धार्मिक कृत्यों एवं सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने के सापेक्ष विधवाओं की स्थितिः

समाजिक विचार दुर्खीम ने पवित्रता एवं अपवित्रता को आधार पर धार्मिक कर्मकाण्डों को सामाजिक तथ्य माना है। उनके अनुसार तथ्यों का समाज में घटित होना एक सामान्य सी बात है, अतः व्यक्ति भी जीवन भर विभिन्न धार्मिक कर्मकाण्डों को धारण करता है।

सारणी संख्या 1.4 धार्मिक कृत्यों एवं सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने के सापेक्ष विधवाओं की स्थिति

प्रत्युत्तर	सदैव सहभागिता	कभी–कभी सहभागिता	कभी नहीं	अनुत्तर	योग
धार्मिक कृत्यों में सहभागिता	13	16	08	03	40
	32.50	**40.50**	**20.00**	**07.50**	**100**
सार्वजनिक समारोहों में सहभागिता	06	09	24	–––	40
	15.00	22.50	62.50	———	**100**

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40.50 प्रतिशत विधवाएं कभी–कभी धार्मिक कृत्यों में भाग लेती है साथ ही 32.50 प्रतिशत विधवाएं धार्मिक कृत्यों सदैव धार्मिक कृत्यों में भाग लेती है, वहीं 62.50 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि मेला–तमाशा तथा सार्वजनिक समारोहों में कभी भी सहभागिता नहीं करती हैं।

अर्थात 73 प्रतिशत विधवाएं धार्मिक कृत्यों में भाग लेती है। जिन विधवाओं ने सार्वजनिक समारोहों में सहभागिता को नकारा है वे अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर सादा एवं सरल जीवन व्यतीत करना चाहती है। यह आकड़ा वर्तमान भारत की बदलती तस्वीर को स्वतः ही प्रस्तुत करता है। जो यह भी साबित करता है कि विधवाओं के प्रति लागू निषेधों में बड़े स्तर पर शिथिलता आयी है।

व्यावहारिक धरातल पर विभिन्न निषेधों के पालन करने के सापेक्ष विधवाओं की स्थितिः

निषेध से आशय व्यवहार सम्बन्धी पवित्र नियमों और निर्योग्यताओं से है। जो एक कठोर सामाजिक नियम को इंगित करता है।

सारणी संख्या 1.5 व्यावहारिक धरातल पर विभिन्न निषेधों के पालन करने के सापेक्ष विधवाओं की स्थिति

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्णतः	03	07.50
कुछ हद तक	22	55.00
नहीं	12	30.00
अनुत्तर	03	07.50
योग	40	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि व्यावहारिक धरातल पर विधवाओं के प्रति सम्पूर्ण निषेधों का पालन नहीं करती हैं। जबकि 55 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि वे कुछ हद तक इन निषेधों का पालन करती है। वहीं 7.50 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि वे पूर्ण रूपेण इन व्यावहारिक और सामाजिक निषेधों का पालन करती हैं।

उपरोक्त प्रश्न के सापेक्ष नहीं में उत्तर देने वाली 4 विधवाओं ने अपनी उम्र और बिमारी को कारण बताया। वहीं सहमति के पक्ष में राय रखने वाली 25 में से 8 विधवाओं का मानना है कि व्रत, धार्मिक कर्मकाण्ड आदि हम लोगों के लिए नहीं हैं। प्राप्त निष्कर्षों से यह अवधारणा निर्मित होती है कि विधवाओं के प्रति प्रचलित निषेधों में बड़े स्तर पर बदलाव आया है।

जीवन को वैधव्य कलंक के रूप में देखने के सापेक्ष विधवाओं की वैचारिकी का वर्गीकरणः

पति की मृत्यु के बाद पत्नी को विधवा की श्रेणी में माना जाता है, जबकि देखा जाए तो मृत्यु एक शाश्वत घटना है।

सारणी संख्या 1.6 जीवन को वैधव्य कलंक के रूप में देखने के सापेक्ष विधवाओं की वैचारिकी का वर्गीकरणः

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	13	**32.50**
नहीं	21	52.50
अनुत्तर	06	15.00
योग	40	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 52.50 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि वह अपने जीवन को वैधव्य कलंक के रूप में नहीं देखती हैं, वहीं 32.50 प्रतिशत विधवाओं ने अपने जीवन को कलंक मानने के पक्ष में अपनी राय रखी है।

वैधव्य से जुड़ी वैचारिकी में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारकः

विधवाओं से पूछा गया कि क्या वर्तमान समाज में वैधव्य से जुड़े पूर्वाग्रहों में परिवर्तन आया है तो विधवाओं ने बड़ी संख्या में पतिवर्तन के पक्ष में अपनी राय रखी। पुनः उन्हीं विधवाओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि वैचारिकी में जो परिवर्तन आया है उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन–कौन से हैं?

सारणी संख्या 1.7 वैधव्य से जुड़ी वैचारिकी में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन के कारण	15	42.85
आधुनिकीकरण के कारण	07	20.00
संचार माध्यमों के द्वारा बदलती जीवन शैली के कारण	00	00
वैधानिक अधिनियमों के कारण	05	14.28
उपरोक्त सभी	06	17.14
अनुत्तर	02	5.71
योग	**35**	**100.0**

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 42.85 प्रतिशत विधवाओं का मानना है वैधव्य कलंक से जुड़े पूर्वाग्रहों में परिवर्तन का कारण परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन है, वहीं 20. 00 प्रतिशत विधवाओं ने आधुनिकीकरण को, 14.28 प्रतिशत विधवाएं वैधानिक अधिनियमों को परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानती हैं, साथ ही 17.14 प्रतिशत विधवाओं ने उपरोक्त अंकित सभी कारकों को इसमें बराबर रूप से सहभागी माना है।

विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में विधवाओं के विचारः

ऐतिहासिक कालों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन बड़े स्तर पर नहीं था, वैदिक काल में देखें तो महिलाओं की स्थिति काफी संतोषजनक थी तथा विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी था। परन्तु धर्मशास्त्र काल में विधवाओं को निःसहाय और निर्बल माना जाने लगा। उत्तरोत्तर उनसे पुनर्विवाह का अधिकार भी छिन लिया गया उसके साथ ही सती जैसी कुप्रथा को बढ़ावा मिला। लेकिन वर्तमान स्थिति में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ, और विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि हुयी।

सारणी संख्या 1.8 विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में विधवाओं के विचार के सापेक्ष वैचारिकी का वर्गीकरण

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
विधवा पुनर्विवाह सही है (होना चाहिए)	32	**80.00**
नहीं सही है (नहीं होना चाहिए)	07	17.50
कुछ कह नहीं सकते हैं	01	2.50
योग	40	100.0

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 80.00 प्रतिशत विधवाओं का मानना है कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, वहीं 17.50 प्रतिशत विधवाओं ने विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए कहा है। जबकि 2.50 प्रतिशत विधवाओं ने असमंजस की स्थिति को बयान किया।

इस तथ्य से यह अवधारणा निर्मित होती है कि विधवा पुनर्विवाह निषेध में बड़े स्तर पर शिथिलता आयी है। अधिकांश विधवाओं ने विधवा पुनर्विवाह को सही माना

निष्कर्ष–

समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है। परिवर्तन की इस बयार ने मानवीय विचार, व्यवहार एवं संवेदनाओं को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। विधवाओं के प्रति व्यावहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए राजा राम मोहन राय एवं ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा उठाये गये कदम की परिणति के फल स्वरूप विधवाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका में बड़े स्तर तक बदलाव आया है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें तो आज भी उनके द्वारा निभायी जा रही भूमिकाएं पूर्वाग्रहों के दायरे से बाहर नहीं है। क्यों कि शायद हमारी सोच धार्मिक एवं परम्परागत नियमों एवं विधानों के पक्ष में आज भी तार्किक नहीं हो पायी है। यह तो है सिक्के का प्रथम पहलू जहां विधवाएं अपने परम्परागत निषेधों के पालन के लिए परिवार, समाज के द्वारा मजबूर की जाती है और दूसरी विधवा हो जाने के पश्चात् परिवारजन उन्हें भार स्वरूप समझते हैं। वहीं सिक्के के यदि दूसरे पहलू पर नजर डाली जाय तो स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि वर्तमान समाज में कुछ विधवाएं विधवापन के जीवन के साथ भी उन परम्परागत निषेधों, निर्योग्यताओं आदि का पालन करने से मना कर दे रही हैं। आज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है, वर्तमान आधुनिक समाज में इस विचार धारा के विपरीत में भी स्वर उठने प्रारम्भ हो गये हैं। आज वे व्रत धारण करती है, सामाजिक उत्सवों, धाार्मिक कर्मकाण्ड़ों में सहभागिता निभाती है, वे अपने पति की मृत्यू और अपने विधवापन के लिए खुद को कलंकित महसूस नहीं करती हैं। वे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करती हैं चूंकि इसी के जरिए विधवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है, साथ ही उनका पुनर्विवाह होने से उनके ऊपर थोपे गये सामाजिक निषेधों, वैधव्य कलंक आदि जैसी स्थिति से मुक्ति दिलायी जा सकती है। इस प्रकार के परिवर्तन के पीछे वर्तमान समाज (आधुनिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण जैसी अन्य प्रक्रियाएं) की स्वतंत्र सोच है, जो आज पूर्वाग्रहों और सामाजिक निषेधों के दायरे को अस्वीकार करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ–

1. मित्तल, सत्य प्रकाश एवं मौर्य, रामलखन, : काशी में मोक्षकामी प्रवासी विधवाएँ, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2005 (प्रथम संस्करण) ।
2. मोतीचन्दः काशी का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2003 (तृतीय संस्करण) ।
3. सिंह, योगेन्द्र ,: भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2006।
4. कीटचुलू, टी.एन.: विडोस इन इण्डिया, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1993।
5. अल्टर चैन, मारथाः विडो इन इण्डिया नेगलेक्कट एण्ड पब्लिक एक्शन, सेज पब्लिकेशन, दिल्ली, 1998।
6- Altekar, A.S. (1956) : The Position of women in Hindu Civilization from Prehistonic times to the Present day, Banaras, Motilal Banarasidas, 1956.
7- Datta, N. K. (1938) : Widow in Ancient India, Indian Historical Quarterly 14(4) : 661-79.
8- Dhruvarajan, V. (1989): Hindu Women and the Power of Ideology : Granby Mass : Bergin and Garvey Publishers.
9- Firtz, M.A. (1929) : A Study of Widowhood in Sociology and Sociology Research, Vol. XIV, No.1.

●